श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं व यात्रियों का ध्यान भटका कर टप्पेबाजी की घटनाएं कारित कर सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गोण्डा गिरोह के 08 सदस्यों को चमोली पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक लाख 55 हजार रुपए एवं 07 कीमती मोबाइल बरामद

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालुओं के चार धाम यात्रा में आने के दृष्टिगत इस दौरान टप्पेबाजी गिरोहों के भी सक्रिय होने की संभावना रहती है,जो कि चार धाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं/यात्रियों के घाट पर स्नान करते समय उनका ध्यान भटका कर सामान चोरी कर लेते हैं। इस तरह की अपराधी घटनाओं के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार महोदय द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा व टप्पेबाजी जैसी घटनाओं में लिप्त गिरोह पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी कार्यवाही के आदेश दिए गए है । इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के भीड़ में सम्मिलित होकर टप्पेबाजी करने वाले गैंग की उपस्थिति श्री बद्रीनाथ धाम में होने की गोपनीय सूचना थाना श्री बद्रीनाथ पुलिस को प्राप्त हुई थी जिसके क्रम में थाना पुलिस द्वारा सादे कपड़ों में आम यात्री बनकर तप्त कुण्ड में गस्त करते हुए दिनांक 15/05/2024 को शातिर गोण्डा गैंग के 08 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया । जिनके विरुद्ध थाना श्री बद्रीनाथ पर मु0अ0सं0 01/2024 धारा 379/411/401/34 भादवि पंजीकृत करते हुए जिला कारागार में दाखिल करवा गया।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी गोण्डा (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले है । गैंग को मुख्य रूप से दलीप और मुरली ही चलाते है सभी लोग देश के अलग-अलग स्थानों पर धार्मिक यात्राओं के शुरू होने पर गिरोह बनाकर उक्त स्थानों पर पहुँच जाते है और फिर आस-पास की धर्मशालाओं या अन्य जगहों पर कमरे किराए पर लेकर रहने लगते हैं। इस दौरान सभी लोग व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर घूमते रहते हैं,वही मौका देखकर स्नान करने अथवा दर्शन करने वाले यात्रियों/श्रद्धालुओं का ध्यान भटका कर उनके द्वारा घाट किनारे रखे गए पैसे, मोबाइल फोन, घड़ियां व अन्य कीमती सामान को चोरी कर लेते हैं। चोरी किये गए सामान को एकत्रित करने के बाद उसे आपस में बांट कर अपने अपने गांव वापस चले जाते हैं।

अभियुक्तगणों का नाम पता –

(1) दलीप कुमार पुत्र मंगीलाल उम्र 35 वर्ष ग्राम छजवा थाना मोतीगंज तहसील गोण्डा जिला गौंडा उ0प्र0
(2) मुरली पुत्र नन्नकू उम्र 28 वर्ष ग्राम पनकसीया थाना मोतीगंज त0 मनकापुर जिला गोण्डा उ0प्र0
(3) भगवान दीन पुत्र धासु उम्र 31 वर्ष ग्राम छजवा थाना मोतीगंज तहसील बजिया गोण्डा उ0 प्र0
(4) ध्रुवनारायण पुत्र श्री रामप्रसाद उम्र 46 वर्ष वेनपुर थाना मनकापुर तह व जिला गोण्डा उ0प्र0
(5) चिन्तामणी पुत्र श्री रामदेव उम्र 47 वर्ष ग्राम बेलीपुर थाना मनका तह व जिला गोण्डा उ0प्र0
(6)- जैकी पुत्र रामकिशन उम्र 20 वर्ष ग्राम वेलीपुर थाना मनका तह व जिला गोण्डा उ0प्र0
(7) देवकी नन्दन पुत्र स्व0 रामकुमार उम्र 40 वर्ष ग्राम मल्लिपुर थाना मनकापुर प0वृ0 मनकापुर जिला गोण्डा उ0प्र0
(😎 धर्मेन्द्र पुत्र राजकुमार उम्र 28 वर्ष ग्राम जिगना बाजार थाना मनकपुर जिला गोण्डा उ0प्र0

बरामदगी का विवरण

(1) पर्स रंग काला जिसमे 5000 रु0 व आधार कार्ड , प्लास्टिक के डिब्बे के अन्दर कुल 1,00,000 रु0 जो विभिन्न पीडित/श्रद्धालुओं के पर्स से टप्पेबाजी के दौरान बरामद, एन्ड्राइड मोबाइल व 50,000 रु0 सील सर्वे मोहर, प्लास्टिक के डिब्बे के अन्दर 06 पर्स जो विभिन्न पीडित/श्रद्धालुओं से टप्पेबाजी के दौरान बरामद, प्लास्टिक के डिब्बे में बद्रीनाथ धाम में आये विभिन्न श्रद्धालुओ के 06 एन्ड्राइड मोबाइल जो गोण्डा गैंग के सदस्यों द्वारा तप्त कुण्ड से टप्पेबाजी में चोरी किए गए ।

कार्यालय
नोटिस बोर्ड
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड
1064
UK 1064
POLICE